

छत्तासगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

रायपुर, दिनांक 11-2-2015

क्रमांक एफ 04-01/31/स्था./2015 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.01.2015 द्वारा श्री बी.डी.वैष्णव, प्रभारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार बिलासपुर एवं श्री मक्सी कुजूर, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव तथा श्री आलोक अग्रवाल, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर को अपराध क्रमांक 57/2014, धारा-7, 13(1)(डी), 13(2) पीसीएक्ट 1988, अपराध क्रमांक-01/2015 धारा-7, 13(1)(डी), 13(2) पीसीएक्ट 1988, अपराध क्रमांक-56/2014 धारा-13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का दोषी पाये जाने के कारण छोगोसिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(2)(क) के अंतर्गत निलंबित करते हुए, उक्त निलंबन के फलस्वरूप शासकीय कार्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री सी.खाखा, मुख्य अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर एवं श्री आर.एन.दिव्य, मुख्य अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर एवं श्री ए.ग्राहम, कार्यपालन अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर को कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान तथा श्री राजेश धवनकर, कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दिया गया है।

2/ अतएव उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश दिनांक 03.01.2015 एवं दिनांक 02.02.2015 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से निम्नांकित अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कॉलम-5 में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानांतरण कर जहाँ पदस्थ किया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री आर.एन.दिव्य, मुख्य अभियंता	बिलासपुर	मुख्य अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर
2.	श्री सी.खाखा, मुख्य अभियंता	सरगुजा	मुख्य अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर

/12/

3.	श्री राजेश घवनकर, कार्यपालन अभियंता	इन्दौर	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर
4.	श्री ए.ग्राहम, कार्यपालन अभियंता	राजनांदगांव	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान

3/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 में निहित प्रावधानानुसार प्रकरण में समन्वय का अनुमोदन प्राप्त किया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Karad

(आर.के.नारद)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

✓ जल संसाधन विभाग

रायपुर, दिनांक 11-2-2015

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 04-01/31/स्था./2015

प्रतिलिपि:-

- मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
 - निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
 - प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
 - मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर/मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
 - कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय.....।
 - सर्वश्री.....द्वारा-प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
 - आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EE (om.s)
EE (om.s)
EE (om.s)

Karad

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

✓ जल संसाधन विभाग